

ई-गवर्नेन्स सोसाईटी, (आर0एल0ए0) ऊना का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 9/2005 से 3/2010

1 प्रारम्भिक:-

(क) हिमाचल प्रदेश सरकार, परिवहन विभाग की अधिसूचना संख्या: टी0पी0टी0-एफ(1)3/2000 ई0 गवर्नेंस दिनांक 3.9.2005 के अन्तर्गत प्रदेश सरकार के परिवहन विभाग से सम्बन्धित ई-गवर्नेंस सोसाईटी का अंकेक्षण निदेशक, हिमाचल प्रदेश स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग को सौंपे जाने के दृष्टिगत, ई-गवर्नेंस सोसाईटी (आर0एल0ए0) ऊना के अवधि 7/2007 से 3/2010 के लेखाओं का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण इस विभाग के श्री जितेन्द्र सिंह (अनुभाग अधिकारी) तथा श्री संजीव कुमार (कनिष्ठ लेखा परीक्षक) द्वारा दिनांक 27.6.2014 से 15.7.2014 के दौरान ऊना में किया गया।

(ख) ई-गवर्नेंस सोसाईटी ऊना का गठन, सभाएँ पंजीकरण अधिनियम 21 ऑफ 1860 के अन्तर्गत दिनांक 24.11.2003 को पंजीकरण संख्या 23/2003 के अन्तर्गत किया गया। (आर0एल0ए0) ऊना की अवधि 9/2005 से 6/2007 की परिवहन की गतिविधियों से प्राप्त आय को ई0 गवर्नेंस सोसाईटी ऊना (केन्द्रीय ईकाई) की रोकड़ बही में इकट्ठा दर्ज किया गया है। तदोपरान्त माह 7/2007 से 3/2010 की परिवहन विभाग की गतिविधियों से सम्बन्धित आय को ई0 गवर्नेंस सोसाईटी (आर0एल0ए0) ऊना की रोकड़ बही में दर्ज किया गया है। अतः 9/2005 से 6/2007 तक परिवहन की गतिविधियों से प्राप्त शुल्क की जाँच ई-गवर्नेंस सोसाईटी ऊना (केन्द्रीय ईकाई) के अंकेक्षण में की जानी अपेक्षित है। अंकेक्षणाधीन अवधि की आय की विस्तृत जाँच के लिए माह 10/2007, 3/2009, 9/2009 का चयन तथा व्यय की विस्तृत जाँच के लिए माह 7/2009 का चयन किया गया।

(ग) अंकेक्षण अवधि के दौरान निम्नलिखित अधिकारी सोसाईटी के अध्यक्ष व सचिव के पद पर कार्यरत रहे हैं:-

नाम	पदनाम	अवधि
श्री राजेश कुमार	अध्यक्ष	01.07.07 से 12.11.07
श्री ओंकार शर्मा	अध्यक्ष	12.11.07 से 21.01.08
श्री पी0एस0 चौहान	अध्यक्ष	05.02.08 से 04.07.09
श्री के0आर0 भारती	अध्यक्ष	04.07.09 से 31.03.10

श्री आर0एस0 राणा	सचिव	02.07.07 से 31.08.07
श्री राकेश शर्मा	सचिव	01.09.07 से 23.02.08
श्री रितेश चौहान	सचिव	23.02.08 से 02.07.08
श्री बी आर कमल	सचिव	02.07.08 से 02.03.09
श्री राकेश शर्मा	सचिव	02.03.09 से 03.07.09
श्री प्रदीप कुमार ठाकुर	सचिव	08.07.09 से 31.03.10

(घ) यह अंकेक्षण प्रतिवेदन ई0 गवर्नेंस सोसाईटी (आर0एल0ए0) ऊना द्वारा प्रदान की गई सूचनाओं व अभिलेख के आधार पर तैयार किया गया है। स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग उक्त सोसाईटी द्वारा प्रदान किसी प्रकार की गलत सूचना अथवा सूचना जो प्रदान नहीं की गई है, की जिम्मेवारी लेने से इन्कार करता है।

(ङ) गम्भीर अनियमितता का सार:-

क्र0सं0	पैरा सं0	विवरण	राशि लाखों में
1	4	राजकीय कोष में राशि का कम जमा करवाया जाना	0.82
2	5	रोकड़ बही/लेखों का रख-रखाव नियमानुसार न किया जाना	विवरण पैरे में दिया गया है
3	6	वाहन पंजीकरण शुल्कों एवं ड्राईविंग लाईसैंस शुल्कों की राशि को अनुमोदित न करवाना तथा सेवा शुल्क की दरों को कम करने बारे	विवरण पैरे में दिया गया है

2 अंकेक्षण शुल्क:-

ई-गवर्नेन्स सोसाईटी, (आर0एल0ए0) ऊना के अवधि 9/2005 से 3/2010 के लेखों के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क वास्तविक कार्य दिवसों के आधार पर ₹16500/- आँका गया। अंकेक्षण शुल्क की इस राशि को राजकीय कोष में जमा करवाने के लिए इसे निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग हिमाचल प्रदेश, शिमला-9 को बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से भेजने हेतु अनुभाग अधिकारी की अंकेक्षण अधियाचना संख्या 118/2014 दिनांक 18.7.2014 द्वारा (आर0एल0ए0) ऊना से अनुरोध किया गया है।

3 वित्तीय स्थिति:—

(क) ई-गवर्नेन्स सोसाईटी (आर0एल0ए0) ऊना द्वारा वर्ष 2003 से कार्य करना आरम्भ किया गया। अवधि 9/2005 से 6/2007 की परिवहन की गतिविधियों से प्राप्त आय को ई0गवर्नेन्स सोसाईटी (केन्द्रीय ईकाई) ऊना की ही रोकड़ बही में दर्ज किया गया है। इसके अतिरिक्त 7/07 से (आर0एल0ए0) ऊना की अलग से रोकड़ बही तैयार की गई परन्तु उक्त रोकड़ बही में भी अन्य गतिविधियों जैसे कि भू दस्तावेजों का पंजीकरण, विभिन्न प्रकार के प्रमाण पत्र जारी करने से प्राप्त शुल्क का भी इन्द्राज किया गया है। अतः (आर0एल0ए0) ऊना की परिवहन की गतिविधियों से प्राप्त आय तथा व्यय का ब्यौरा उपलब्ध करवाने हेतु अनुभाग अधिकारी की अंकेक्षण अध्याचना संख्या 112/2014 दिनांक 2.7.2014 द्वारा अनुरोध किया गया परन्तु अंकेक्षण समाप्ति तक संस्था द्वारा कोई भी सूचना उपलब्ध नहीं करवाई गई। परिणामस्वरूप संस्था द्वारा ई0 गवर्नेन्स सोसाईटी (आर0एल0ए0) ऊना की परिवहन की गतिविधियों से सम्बन्धित अलग से वित्तीय स्थिति नहीं बनाई गई अपितु सोसाईटी द्वारा अपनी समस्त गतिविधियों से सम्बन्धित अवधि 7/07 से 3/10 तक की वित्तीय स्थिति तैयार की गई जोकि परिशिष्ट "क" पर संलग्न है। अतः परामर्श दिया जाता है कि परिवहन की गतिविधियों से प्राप्त आय तथा उसमें से किए गए व्यय का अलग से लेखा जोखा तैयार करके परिवहन की गतिविधियों से सम्बन्धित वित्तीय स्थिति को अलग से तैयार किया जाए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(ख) ई0 गवर्नेन्स सोसाईटी (आर0एल0ए0) ऊना की रोकड़ बही तथा बैंक जमा में ₹399/— का अन्तर था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि रोकड़ बही के पृष्ठ 117 पर दिनांक 31.7.09 को ₹1298 आय के रूप में दर्ज की गई परन्तु बैंक में ₹998/— ही जमा करवाई गई। इस प्रकार बैंक में ₹300 कम जमा करवाई। इसके अतिरिक्त दिनांक 22.12.09 को कुल ₹1251948/— बनती थी, जिसे ₹1251849/— दर्शाया गया। इस प्रकार सम्बन्धित लेखों में ₹99 कम दर्शाए गए। अतः ₹300+₹99=₹399 शीघ्र बैंक में जमा करवाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

(ग) ई0 गवर्नेन्स सोसाईटी (आर0एल0ए0) ऊना द्वारा दिनांक 31.3.2010 तक बैंक में सावधि योजना में ₹10 लाख जमा की गई दर्शाई गई है जिनका विवरण परिशिष्ट "क" पर दिया

गया है परन्तु इस बारे में विहित प्रपत्र/रजिस्टर पर सूचना उपलब्ध नहीं करवाई गई जिसे आगामी अंकेक्षण में उपलब्ध करवाना सुनिश्चित किया जाए।

4 राजकीय कोष में ₹82694/— कम जमा करवाया जाना:—

हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या टी0पी0टी0एफ(1) 3/2000 ई0 गवर्नेंस दिनांक 3.9.2005 के पैरा 3 (बी) के अनुसार परिवहन विभाग की गतिविधियों से सम्बन्धित सेवा शुल्क के रूप में प्राप्त की गई कुल वसूलियों का 25% भाग राजकीय कोष में जमा करवाया जाना अपेक्षित है। जाँच में पाया गया कि संस्था द्वारा अवधि 9.1.2006 से 20.7.09 के दौरान प्राप्त सेवा शुल्क का 25% भाग तो चालान संख्या 8 दिनांक 20.7.09 द्वारा राजकीय कोष में जमा करवाया गया है, परन्तु इससे पूर्व दिनांक 3.9.2005 से 8.1.2006 के दौरान निम्नानुसार प्राप्त सेवा शुल्क की ₹330775/— का 25% भाग अर्थात् ₹82694 का अभी तक राजकोष में जमा नहीं करवाया गया है।

अवधि	आय
3.9.05 से 31.12.05	316125
1.1.06 से 8.1.06	14650
	330775
25% भाग	82694

5 रोकड़ बही/लेखों का रख-रखाव नियमानुसार न किया जाना:—

हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या टी0पी0टी0—एफ (1) 3/2000 ई0 गवर्नेंस दिनांक 3.9.2005 की धारा 3 (ए) के अनुसार सोसाईटी द्वारा नियमानुसार लेखों का रख-रखाव उचित प्रकार से करते हुए प्रतिवर्ष Income & Expenditure Statement तथा Balance sheet तैयार की जानी अपेक्षित है परन्तु सोसाईटी द्वारा न तो रोकड़ बही का निर्माण सही ढंग से किया गया है और न ही Ledger बनाए गए है। इसके अतिरिक्त रोकड़ बही को भी सक्षम अधिकारी द्वारा पूर्ण रूप से सत्यापित नहीं किया गया है तथा प्रत्येक मास के अन्त में कोई मासिक विवरण भी नहीं दिया गया है। सोसाईटी द्वारा प्रत्येक वर्ष की Income & Expenditure Statement तथा Balance Sheet भी तैयार नहीं की गई है। अतः परामर्श दिया जाता है कि रोकड़ बही में किए गए इन्द्राजों का सत्यापन सक्षम अधिकारी से करवाया जाए तथा प्रत्येक मास में प्राप्त की गई कुल आय तथा मास के दौरान किए गए कुल व्यय के

विवरण के उपरान्त अन्त शेष का विवरण देकर व हस्तगत राशि से सम्बन्धित प्रमाण पत्र देकर बैंक में जमा राशि का भी विवरण दिया जाए। इसके अतिरिक्त रोकड़ बही के शेष का बैंक के शेष से मिलान किया जाना सुनिश्चित किया जाए। उपरोक्त के अतिरिक्त नियमों की अनुपालना करते हुए अविलम्ब रोकड़ बही का निर्माण सही ढंग से करके सम्बन्धित लैजर, आय तथा व्यय विवरणी बैलेंस शीट तथा बैंक समाधान विवरणी भी समय समय पर तैयार की जाए व जाँच हेतु आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत की जाए। उपरोक्त के अतिरिक्त ई-गवर्नेंस सोसाईटी (आर0एल0ए0) ऊना की अवधि 4/2010 से रोकड़ बही का रख रखाव नहीं किया गया है जिसके अभाव में अंकेक्षण 3/2010 तक ही सीमित किया गया है। अतः मास 4/2010 से आगे की रोकड़ बही शीघ्र तैयार करके अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

अतः सेवा शुल्क के रूप में प्राप्त की गई राशियों के 25% भाग की ₹82694/- की गणना संस्था स्तर पर भी करके अपेक्षित राशि को राजकोष में जमा करवाया जाए।

6 वाहन पंजीकरण शुल्कों एवं ड्राइविंग लाईसैंस शुल्कों की राशि को अनुमोदित न करवाना तथा सेवा शुल्क की दरों को कम करने बारे:-

(क) अंकेक्षण अवधि के चयनित मासों में वाहन पंजीकरण शुल्कों एवं ड्राइविंग लाईसैंस शुल्कों से प्राप्त आय की जाँच करने पर पाया गया कि निम्नविवरणानुसार इन शुल्कों की दरों की वसूली उपायुक्त काँगड़ा स्थित धर्मशाला के पत्र संख्या ई0गर्व0-डीएच0एस0 दिनांक 9.10.2002 में वर्णित दरों के अनुसार की गई है। ई-गवर्नेंस समिति ऊना द्वारा इन निर्धारित दरों का अतिक्रमण करते हुए इन्हें 17.8.04 के बाद से लागू किया गया परन्तु उक्त दरों के अनुमोदन बारे तथा इन्हें लागू करने बारे उपायुक्त एवं अध्यक्ष ई-गवर्नेंस समिति ऊना के आदेश अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किए गए। अतः उक्त आदेश सत्यापनार्थ आगामी अंकेक्षण पर प्रस्तुत किए जाएं।

Registration of Vehicles

(i)	Two whelers	100
(ii)	Vehicles with purchase price up to 3 Lac.	150
(iii)	Vehicles with purchase oner 3 Lac.	200
(iv)	Issue & renewal fitness Certificate	25
(v)	Issue of RC (new) on account of loss/destruction/HPA cancellation or entry/alteration/changes in ownership	50

Driving Licenses:-

Driving Licenses	100
Learner Licenses	50

(ख) इसके अतिरिक्त अंकेक्षण अवधि 9/2005 से 3/2010 के चयनित मासों में ई-गवर्नेंस से प्राप्त आय की जाँच करने पर पाया गया कि संस्था मुद्रित रसीद पर प्राप्त निम्न वर्णित मदों की दरों को कम कर दिया गया था, परन्तु समिति द्वारा कम की गई उक्त दरों को सक्षम अधिकारी में स्वीकृति नहीं करवाया गया क्योंकि इस प्रकार के किसी भी आदेशों को अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः कम की गई दरों की पुष्टि एवं सत्यापन हेतु उक्त आदेशों सहित अनुपालना को आगामी अंकेक्षण पर प्रस्तुत किया जाए।

क्र० सं०	मद का नाम	दिनांक	मुद्रित रसीद पर प्राप्त फीस	वास्तव में प्राप्त फीस	कम की गई दर/अन्तर की राशि
1	ट्रांसफर फीस (वाहन)	6.3.2006 व 7.3.2006	200	100	100
2	एल0एम0बी0 लाईसैन्स (एन0टी0)	6.3.2006 व 7.3.2006	150	100	50

7 रसीद पुस्तिकाओं का मुद्रण करवाने के पश्चात स्टॉक इन्द्राज न करने बारे:-

संस्था द्वारा सेवा शुल्कों की प्रति हेतु वाहन तथा सारथी साफ्टवेयर के लागू होने से पहले सभी प्रकार के शुल्कों को मुद्रित रसीदों द्वारा प्राप्त किया गया था, परन्तु रसीद पुस्तिकाओं के मुद्रण से पूर्व बारे अनुमति आदेश भी अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किए गए। इसके अतिरिक्त मुद्रित करवाई गई रसीदों पुस्तिकाओं को सम्बन्धित स्टॉक रजिस्टर में दर्ज नहीं किया गया तथा अप्रयोग रसीदों (जिन पर मुद्रित शुल्क राशि मुद्रित थी) को भी रद्द नहीं किया गया था। अतः इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्रवाई अब करके एवं वाँछित अभिलेख आगामी अंकेक्षण पर प्रस्तुत किया जाए।

8 विविध:-

केन्द्रीय ईकाई ऊना से समय-2 पर ई-गवर्नेन्स सोसाईटी (RLA) ऊना को जारी की गई विभिन्न मदों तथा ई-गवर्नेन्स सोसाईटी (RLA) ऊना से केन्द्रीय ईकाई को समय-2 पर केन्द्रीय ईकाई के हिस्से के रूप में भेजी गई राशि का मिलान केन्द्रीय ईकाई ऊना से नहीं किया गया है। अतः इस सन्दर्भ में भी अपेक्षित कार्रवाई करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

9 लघु आपत्ति विवरणिका:- इसे अलग से जारी नहीं किया गया क्योंकि समस्त लघु आपत्तियों का निपटारा स्थल पर ही कर लिया गया।

10 निष्कर्ष:- ई0गवर्नेन्स सोसाईटी (आर0एल0ए0) ऊना द्वारा रोकड़ बही का रख-रखाव का नियमानुसार न करना, लैजर, आय एवं व्यय विवरणी, बैलेंस शीट, तैयार न करना आपत्तिजनक है। अतः उक्त अनियमितता को विशेष रूप से आवश्यक कार्रवाई हेतु ई0गवर्नेन्स सोसाईटी के उच्चाधिकारियों के ध्यान में लाया जाता है।

हस्ता/-

उप निदेशक

स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग

हिमाचल प्रदेश, शिमला-171009.

पृष्ठांकन संख्या: फिन(एल0ए0)(xii) 1/2012 खण्ड-1-7187-91 दिनांक, 29.11.14 शिमला-171009
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- पंजीकृत:-1 उप-मण्डल अधिकारी (ना0) एवं सचिव ई0-गवर्नेन्स सोसाईटी (आर0एल0ए0) ऊना, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करवाकर सटिप्पण उत्तर एक माह के भीतर इस विभाग को भेजना सुनिश्चित करें।
- 2 जिलाधीश एवं अध्यक्ष ई-गवर्नेन्स सोसाईटी ऊना, हि0प्र0
- 3 निदेशक, (परिवहन विभाग) हि0प्र0 शिमला-03
- 4 अवर सचिव (परिवहन) हि0प्र0 शिमला-02
- 5 श्री जितेन्द्र सिंह अनुभाग अधिकारी द्वारा.....

हस्ता/-

उप निदेशक

स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग

हिमाचल प्रदेश, शिमला-171009.